

न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 13/14 क्लेम

श्रीमती हरप्यारी पत्नी बालमुकन्द आयु 50 साल जाति
जाटव निवासी ग्राम सीताराम की लावन थाना गोरमी
तहसील मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0

----- आवेदक

बनाम

1-जगतारसिंह आयु 28 साल पुत्र धर्मसिंह जाति
सिक्ख निवासी अशोक बिहार कॉलोनी डबरा तहसील
डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0

-----वाहन चालक

2-श्रीमती दलजीतकौर पुत्री धर्मसिंह आयु 35 साल
जाति सिक्ख निवासी अशोक बिहार कॉलोनी डबरा
तहसील डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0

-----वाहन स्वामी

आवेदक द्वारा श्री जी0एस0निगम अधिवक्ता
अनावेदक क्रं0 1,2 एक पक्षीय

//अधि-निर्णय//

//आज दिनांक 29-4-15 को घोषित किया गया //

- 1- आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें आवेदक ने डिस्कवर मोटरसायकिलट्रक क्रमांक पी0बी021सी 9235 के स्वामी चालक एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध उक्त दुघर्टना में आवेदक को टक्कर मारने से आयी उपहति के आधार पर 320000/- रुपये एवं ब्याज दिलाये जाने वाबत् क्षतिपूर्ति आवेदनपत्र पेश किया गया है ।
- 2- यह अविवादित है कि वाहन क्रमांक पी0बी021 सी 9235 का चालक अनावेदक क्रमांक 1 है एवं मालिक अनावेदक क्रं02 है ।
- 3- आवेदकगण का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 23-11-13 को शांय 6:30 बजे आवेदिका हरप्यारी का मृतक पुत्र सुरेन्द्र सिंह आवेदिका को इलाज कराने के लिये अपनी

मोटरसायकिल एम0पी0 06 एच0बी0 5438 पर पीछे बिठाकर साथ में धर्मेन्द्र व जीतू अपनी मोटरसायकिल से सीताराम की लावन से गोहद चौराहा के लिये आये थे । जैसे ही कनीपुरा तिराहे पर पहुंचे तो चौराहे की तरफ से अनावेदक क्रं01 जगतार सिंह अनावेदक क्रं02 के स्वामित्व की मोटरसायकिल क्रं0पी0बी021 सी 9235 डिस्कवर को तेजी व लापरवाही से चलाकर आ रहा था और आवेदिका की मोटरसायकिल में टककर मार दी जिससे सुरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गयी और आवेदिका के शरीर में जगह जगह व सिर में चोटें आयी तब धर्मेन्द्र सिंह व जीतू जीप में बिठाकर गोहद स्वास्थ्य केन्द्र में लेकर आये । आवेदिका के पुत्र सुरेन्द्र सिंह को मृत घोषित कर दिया तथा आवेदिका के सिर में व शरीर में अधिक चोटें होने के कारण ग्वालियर जयारोग्य चिकित्सालय को भेज दिया गया । उक्त घटना की रिपोर्ट धर्मेन्द्र सिंह ने गोहद अस्पताल में पुलिस थाना गोहद चौराहे को की है तो उक्त रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 272/13 अन्तर्गत धारा 279,337,304ए भा0द0सं0 एवं 3/181, 146,196 मोटर यान अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा अभियोगपत्र जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में पेश किया जो कि प्र0कं0 1673/13 इ0फो0 पुलिस गोहद चौराहा बनाम जगतार के नाम से संचालित है ।

4- आवेदिका घटना के कारण 6 माह तक अपना रोजगार पशु पालन एवं दूध बिक्रय नहीं कर पा रही है जिससे आवेदिका को 60000/- रुपये की क्षति हुयी । आवेदिका ने ईलाज के दौरान जब उसे घायल अवस्था में उपस्वास्थ्य केन्द्र गोहद में जीप में रखकर लाये तब गोहद अस्पताल में प्रारम्भिक ईलाज में पांच हजार रुपये खर्च हुये उसके बाद आवेदिका को ग्वालियर के लिये रेफर कर दिया तो गोहद अस्पताल से ग्वालियर जाने में 5000/- रुपये खर्च हुये । दिनांक 25-11-2013 से 30-11-13 तक भर्ती रहकर जयारोग्य चिकित्सालय में ईलाज हुआ ईलाज के दौरान सीटी स्कैन, एक्सरा एवं आप्रेशन में करीब 70000/- रुपये खर्च हुये । आवेदिका के सिर में चोट होने के कारण दाहिनी तरफ खून जम गया था जिसका इलाज डॉक्टर की देखरेख में घटना दिनांक से आज दिनांक तक चल रहा है और डॉक्टर ने 6 माह तक आराम करने की सलाह दी है । निरन्तर 6 माह तक इलाज लेने को कहा इसलिये आवेदिका का ईलाज वर्तमान में चल रहा है इस प्रकार 6 माह तक प्रतिमाह 10000/- रुपये का इलाज हो रहा है । आवेदिका को दुर्घटना में सिर में खून जमने से मानसिक रूप से अस्वस्थ है तथा सोचने समझने की क्षमता कम हो गयी है इस प्रकार मानसिक रूप से क्षतिपूर्ति 100000/- रुपये की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है । आवेदिका पर दुर्घटना दिनांक से स्वस्थ होने तक पोष्टिक आहार के लिये करीब 20000/- रुपये खर्च होंगे । इस प्रकार आवेदिका को आई चोटों के परिणाम स्वरूप 320000/- तीन लाख बीस हजार रूपया की क्षति प्रति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया है ।

5- आवेदक के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं ।

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1-	क्या दिनांक 23-11-2013 को 6:30 बजे शाम पिपाहडी हेड थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में अनावेदक क्रमांक-1 के द्वारा	

	अनावेदक क्रमांक-2 के स्वामित्व की मोटरसायकिल क्रमांक पी0बी021 सी 9235 डिस्कवर को अनावेदक क्रमांक 2 की जानकारी व सहमति के आधार पर ले जाकर उसे तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदिका को टककर मारकर उसे गंभीर उपहति कारित की ?	
2	क्या आवेदिका क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है ? यदि हां तो किससे व कितना कितना ?	
3	सहायता एवं व्यय ?	

// निष्कर्ष के आधार //

बिन्दु क्रमांक-1:-

6- आवेदिका हरप्यारी के द्वारा अपने शपथपर साक्ष्य कथन में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुये बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने पुत्र सुरेन्द्र सिंह के साथ ईलाज कराने के लिये मोटरसायकिल पर जा रही थी । जैसे ही कनीपुरा तिराजे पर पहुंची तो गोहद चौराहे की तरफ से अनावेदक जगतार सिंह अपनी मोटरसायकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके पुत्र सुरेन्द्र सिंह की मोटरसायकिल में टककर मारदी जिससे सुरेन्द्र सिंह को चोटें आयी एवं उसकी मृत्यु हो गयी । उक्त दुर्घटना में उसे शरीर में जगह जगह व सिर में चोटें आयी थी । घटना की रिपोर्ट धर्मेन्द्र के द्वारा थाना गोहद में की गयी थी । उसका प्रारम्भिक उपचार गोहद अस्पताल में कराया गया तथा बाद में जयारोग्य चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां उसका ईलाज चला था । आवेदिका के द्वारा आपराधिक प्रकरण से संबंधित दस्तावेज अन्तिम प्रतिवेदन प्र0पी01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी02, देहाती नालिसी प्र0पी0 3, अपराध विवरण फार्म प्र0पी0 4, कथन हरप्यारी प्र0पी0 5, कथन धर्मेन्द्र प्र0पी06, संपत्ती जप्ती पत्रक प्र0पी07, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 8, जख्मी दरखास्त प्र0पी0 9, एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0 10, सी0टी0स्केन रिपोर्ट प्र0पी0 11, प्रमाणिकरण प्र0पी0 12 की प्रमाणित प्रतियां पेश की हैं ।

7- आवेदिका हरप्यारी के कथन का समर्थन उसकी ओर से प्रस्तुत साक्षी धर्मेन्द्र सिंह साक्षी क्रं02 के कथन से भी होती है जो कि घटना के समय दूसरी मोटरसायकिल से जा रहा था और घटनास्थल पर

मौजूद था । दुर्घटना होने के बाद उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा में दर्ज करायी गयी है ।

8— आवेदिका हरप्यारी के द्वारा किये गये उपरोक्त कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है । प्रतिपरीक्षण के अभाव में साक्षी का कथन अखण्डनीय रहा है । उसके किये गये कथनों संपुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भी होती है जो कि घटना के पश्चात् घटना की अन्तिम प्रतिवेदन प्र0पी01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी02, देहाती नालिसी प्र0पी0 3, अपराध विवरण फार्म प्र0पी0 4, कथन हरप्यारी प्र0पी0 5, कथन धर्मेन्द्र प्र0पी06, संपत्ती जप्ती पत्रक प्र0पी07, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 8, जख्मी दरखास्त प्र0पी0 9, एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0 10, सी0टी0स्केन रिपोर्ट प्र0पी0 11 में उसके दांय टेम्पुरल लोव में हेम्ब्रेजिक कंटीयूजन होना पाया गया है । एक्सरे रिपोर्ट में किसी प्रकार का अस्थि भंग नहीं पाया गया है । सिर के सी0टी0स्केन में किसी प्रकार का अस्थि भंग होने का उल्लेख नहीं है । मात्र कंटीयूजन होना उसमें उल्लेख किया गया है । इस प्रकार आवेदिका को गम्भीर उपहति दुर्घटना के फलस्वरूप कारित होना चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है ।

9— इस प्रकार प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक क्रमांक-1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक-2 की स्वामित्व की मोटरसायकिल पी0बी021 सी 9235 डिस्कवर को अनावेदक क्रमांक-2 की सहमती व जानकारी के आधार पर तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदिका को टककर मारी जिससे आवेदिका को गम्भीर उपहति प्रमाणित नहीं है किन्तु आवेदिका को उक्त दुर्घटना में आयी चोट से उपहति होना प्रमाणित है । तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर हां में देते हुये आवेदिका को दुर्घटना में उपहति कारित होना प्रमाणित है ।

बिन्दु क्रमांक-2:-

10— बिन्दु क्रमांक-1 पर निकाले गये निष्कर्ष से यह प्रमाणित हुआ है कि अनावेदक क्रमांक-1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक-2 के स्वामित्व की प्रश्नाधीन मोटरसायकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को टककर मारकर उपहति कारित की है । आवेदिका को यद्यपि गम्भीर उपहति होना प्रमाणित नहीं है किन्तु उसके शरीर में चोटें आयी हैं और सिर में खून का थक्का जमना उसकी सी0टी0स्केन रिपोर्ट एवं मेडिकल रिपोर्ट से प्रमाणित है । निश्चित तौर से आवेदिका को चोटों का ईलाज कराना पडा होगा तथा ईलाज हेतु आने जाने में व्यय हुआ होगा और उसे मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी सहन करना पडा होगा । अतः आवेदिका को उसे आयी हुयी उपहति में सभी मदों में कुल 6000/- रुपये प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना उचित प्रतिकर होगा तथा उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली दिनांक तक आवेदिका 6 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज पाने की भी अधिकारी होगी । तदनुसार उपरोक्त बिन्दु का निराकरण किया जाता है ।

सहायता एवं व्यय :-

11— प्रकरण में उपरोक्त विवेचना एवं विप्लेषण के फलस्वरूप याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये इस आशय का अवार्ड पारित किया जाता है :-

1-आवेदिका अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 6000/- रुपये की राशि प्राप्त करने की अधिकारी होगी एवं उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दावा प्रस्तुति

दिनांक से बसूली दिनांक तक पाने की भी अधिकारिणी होगी ।

2-प्रतिकर की राशि जमा होने पर आवेदिका को नगद भुगतान की जाये ।

3-अभिभाषक शुल्क 500/- रुपये प्रमाणित किया जाता है ।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाये ।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अति०मोटर दुघर्टना दावा अधि०

गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अति०मोटर दुघर्टना दावा अधि०

गोहद जिला भिण्ड